# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 42/2019

प्रार्थी

1- मुनीर खॉ मलाक पुत्र अब्दु खॉ उम्र 67 साल जाति देशवाली निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

अप्रार्थीगण

1- फरीद खॉ पुत्र पीर खॉ उम्र 70 साल

2- छोटू खॉ पुत्र पीर खॉ उम्र 60 साल जाति देशवाली निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान

3- तहसीलदार डीडवाना

प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित – श्री मोहम्मद अली शेरानी प्रार्थी की ओर से।
श्री छोटूराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 14/8/2019

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पैत्रिक भूमि के खेत खसरा नम्बर 08 रकबा 26 बीघा वाके सरहद सानियों व खसरा नम्बर 253 रकबा 11 बीघा खसरा नम्बर 249 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 315 रकबा 30 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 529/253 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 530/253 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 541/315 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 542/315 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 59 बीघा 16 बिस्वा वाके सरहद खुनखुना तहसील डीडवाना में स्थित है, जो भूमि पैतृक खातेदारी में वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य मौखिक बंटवारा होकर खेत खसरा नम्बर 8 रकबा 26 बीघा तथा खसरा नम्बर 249 315 529/253 530/253 541/315 542/315 कुल रकबा 59 बीघा 16 बिस्वा में प्रार्थी के हक की भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बंट में रखी गई । इसी अनुसार कदीम समय से प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपनी अपनी बंट की भूमि पर काबिज व काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होने व विभिन्न अदालतो में मुकदमे होने पर पक्षकारान के बीच राजीनामा दिनॉक 04.01.2007 को लिखित मे हुआ। खसरा नम्बर 8 की भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी के हक में रख दिया तथा खसरा नम्बर 249, 315, 529/253, 530/253, 541/315, 542/315 मे से प्रार्थी का सम्भावित सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दे दिया तथा इसी बंटवारे के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी

.......2.....

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

संख्या 1 व 2 अपने अपने हिस्से व बंट की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व इनके भाई सरदार खॉ द्वारा राजीनामा द्वारा यह इकरार किया कि उक्त खसरा नम्बर 8 रकबा 26 बीघा भूमि के 1/2 भाग की भूमि प्रार्थी के हक में करवा देंगे जिस पर अप्रार्थीगण के भाई सरदार खॉ ने अपने हिस्से का बेचाण प्रार्थी के पक्ष में करवा दिया तथा प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है तथा प्रार्थी खसरा नम्बर 249, 315, 529/253, 530/253, 541/315, 542/315 में से अपने सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम करवाने को तैयार व तत्पर है परन्तु अप्रार्थी सख्यां 1 व 2 की नियत खराब होने के कारण माफिक राजीनामा अनुसार खातेदारी में दर्ज हिस्से की भूमि खातेदारी प्रार्थी के हक में करवाने के लिए आनाकानी कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खेत खसरा नम्बर 8 से अपना नाम हटाये बिना खेत खसरा नम्बर 249, 315, 529/253, 530/253, 541/315, 542/315 की भूमि मे प्रार्थी के सम्भावित हिस्से में निर्माण कार्य करने पर उतारू हो रखे है जिनको भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण विरूद्व इस अगर की अस्थाई निषेधाज्ञा ता–फैसला वाद फरमाई जावे कि ग्राम सानिया के खेत खसरा नम्बर 8 रकबा 26 बीघा तथा खुनखुना के खसरा नम्बर 249, 315, 529/253, 530/253, 541/315, 542/315 में न तो स्वय अप्रार्थीगण दखल अंदाजी बेचाण हस्तानान्तरण गिरवीनामा आदि करे तथा न ही अपने किसी एजेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से करावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित। जिन्होने किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही कर मूल प्रार्थना–पत्र पर बहस की। अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित आये, जिन्होने किसी प्रकार का जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही करना चाहा। प्रस्तुत नकल खतौनी ग्राम खुनखुना तहसील डीडवाना के खसरा नम्बर 249, 315, 529/253, 530/253, 541/315, 542/315 कुल रकबा 48.16 बीघा, खसरा नम्बर 253 रकबा 11 बीघा, ग्राम सानिया के खसरा नम्बर 8 रकबा 26 बीघा भूमि में पक्षकारान एवं अन्य खातेदार की भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। इकरारनामा राजीनामा की छाया अनुसार प्रथम पक्ष फरीख खॉ सरदार खॉ छोटू खॉ पि. पीर खॉ तथा द्वितीय पक्ष हुसैन खॉ दत्तक पुत्र अब्दू खॉ कायमखानी निवासी खुनखुना का आपस में उपरोक्त भूमियों की अदला बदली की इबारत रखी है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत

.......3.....

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की सह खातेदारी की आई हुई है तथा प्रार्थी उपरोक्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहता है, परन्तु पक्षकार संयुक्त खातेदारान दर्ज चले आ रहे है तथा ऐसे किसी भी दस्तावेजात से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरर्णीय क्षति के बिन्दू साबित नही होते है जिससे अप्रार्थीगण को ता–फैसला वाद पांबद किया जावे। यदि पक्षकारान उपरोक्त भूमि की अदला बदली करना चाहते है तो वह नियमानुसार वाद में राजीनामा प्रस्तुत करे या फिर जरिये रजिस्टर्ड बेचान इत्यादि पंजियन के जरिये अपने अपने हिस्से अदला बदल करे। ग्राम खुनखुना के खसरा नम्बर 253, 249, 315, 529/253, 530/253, 541/315, 542/315 की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम अंकित नही है तथा खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र किसी भी रूप में साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 14/8/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner